

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 25.4.18

संख्या - 3/यो0-26/2017 ²⁴³⁷ मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र-योजना बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में आंशिक संशोधन करते हुए जैसे तेजाब पीडित के मामलों में जो बिहार का मूल निवासी हो या तेजाब हमला की घटना बिहार में हुआ हो, को पेंशन देने हेतु दिव्यांगता की न्यूनतम अहर्ता 40 प्रतिशत की शर्त विलोपित करने की स्वीकृति के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के जापांक 142/लो0वि0 दिनांक 16.04.2018 द्वारा लोक वित्त समिति की अनुशंसा एवं दिनांक 19.04.2018 को मंत्रिपरिषद द्वारा संचिका संख्या - 03/यो-26/2017 के पृष्ठ संख्या- 12/टि0 पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस छत्र-योजना में पूर्व से संचालित योजनाएँ यथावत रहेगी। योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु योजना के प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदेश निर्गत किया जायेगा। मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र-योजना आंशिक संशोधनोपरान्त निम्न प्रकार है :-

2. उद्देश्य

इस छत्र-योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के वृद्ध, निःशक्त, विधवा, कुष्ठ रोगी, एडस रोगी आदि को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

3. छत्र-योजना का विवरण

इस छत्र-योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी:-

3.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

इसके तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राज्य पेंशन योजनाएँ तथा मासिक सहायता की योजनाएँ होंगी जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना; राज्य पेंशन योजना अन्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मासिक सहायता की बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एडस पीडित कल्याण योजना। तेजाब हमला से पीडित व्यक्ति को भी बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि प्रदान की जायेगी। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत वृद्धजनों (60-64 वर्ष) का नामांकन पिछले चार वर्षों से भी अधिक से बंद होने के कारण वर्तमान में कोई वृद्धजन लाभुक नहीं रह जाने चाहिए तथा विमुक्त बंधुआ मजदूर के लिए वर्णित अन्य योजना में आच्छादित हो सकने के कारण यह योजना पृथक रूप से संचालनीय नहीं रह गई।

✓

3.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ

इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना तथा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना होंगी जिसके अन्तर्गत परिवार के मुखिया के मृत्योपरांत उनके आश्रित/निकटतम संबंधी को एकमुश्त अनुदान देय है। कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना अन्तर्गत एकमुश्त अनुदान अन्त्येष्टि क्रिया हेतु देय है।

3.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

यह एकीकृत योजना होगी जिसके अन्तर्गत निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाहित होंगी।

4. निधि का संवितरण

निधि का संवितरण निम्नवत किया जायेगा:-

4.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 80 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धजन, अन्य वृद्धजन, विधवा एवं निःशक्तजन के लिए अलग-अलग देय राशि है। अति वृद्धजन को छोड़कर अन्य पात्र लाभुको को एक समान राशि का लाभ देने हेतु अन्तर राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित है। इसी प्रकार जो लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित प्रावृता नहीं रखते हैं परन्तु राज्य पेंशन योजना अन्तर्गत योग्य पात्र हैं, उनका भुगतान राज्य योजना से देय है। इसके अतिरिक्त मासिक सहायता योजनाएँ अन्तर्गत बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एड्स पीडित कल्याण योजना की राशि राज्य योजना से देय है।

4.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना एवं कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

4.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

इसके लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

5. देय राशि

इस छत्र योजना अन्तर्गत उक्त मदों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दरें लागू होंगी।

5.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

इंदिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए ₹0 500/- प्रतिमाह तथा शेष सभी पेंशन योजनाओं के आच्छादित लाभुको को ₹0 400/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है। मासिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत आच्छादित लाभुको को ₹0 1500/- प्रतिमाह की दर से भुगतान कर आर्थिक सहायता दी जाती है।

✓

5.2 मृत्योपरान्त देय अनुदान योजना

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए एकमुश्त रू0 20000/- एवं कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के लिए एकमुश्त रू0 3000/- सहायता दी जाती है।

5.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

इस योजना अन्तर्गत प्रात्र लाभुको को रू0 100000/- अनुदान के रूप में दी जाती है।

6. पात्रता

इस छत्र-योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-

6.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

- (i) वृद्धजन - बी0पी0एल परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरुष इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।
- (ii) विधवा महिला - बी0पी0एल परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40-79 वर्ष हो वे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं आय 60,000/- से कम हो वे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।
- (iii) दिव्यांगजन - बी0पी0एल परिवार के 18-79 वर्ष या अधिक आयु के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत तथा किसी भी आय एवं आयु के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।
- (iv) कुष्ठ या एड्स पीडित - Visible Deformities Grade-IIके कुष्ठ रोगी बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के एड्स रोगी बिहार शताब्दी एड्स पीडित कल्याण योजना के तहत आच्छादित होंगे।
- (v) दिव्यांगजन के सदृश तेजाब हमला से पीडित भी बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे। वैसे तेजाब पीडित, जो बिहार के मूल निवासी हो या तेजाब हमला की घटना बिहार में हुआ हो, को पेंशन देते हुए दिव्यांगता की न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत की शर्त को विलोपित किया गया है।
- (vi) एक से अधिक पेंशन एवं मासिक सहायता योजना में पात्रता होने पर लाभार्थी की स्वेच्छा अथवा अधिकतम लाभ वाली योजना अंतर्गत ही पात्रता मानी जाएगी।

6.2 मृत्योपरान्त देय अनुदान योजना

- (i) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :- बी0पी0एल परिवार के 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके शोक-संतप्त परिवार को अनुदान देय होगा।
- (ii) मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :- किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या निकटतम संबंधी को अनुदान देय होगा। उदाहरणस्वरूप किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर सभी मृतक, मृत बच्चे सहित प्रति मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य होगा। आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा।

- (iii) कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना:- बी0पी0एल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान देय होगा ।

6.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा। यदि ऐसी विवाह में पति/ पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा । इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतरजातीय विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ साथ अंतरजातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा । उदाहरणस्वरूप यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतरजातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह - दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

7. प्रक्रिया

इस छत्र-योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी

7.1 आवेदन की प्रक्रिया

योजना	आवेदन	कहाँ/ किसके समक्ष	अनुमोदन
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	BDO
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	BDO
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	विहित प्रपत्र में	BDO	BDO
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	विहित प्रपत्र में	एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी के केन्द्र	
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	सादे कागज में	SDO	SDO
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	सादे कागज में	मुखिया (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)वार्ड कमिश्नर (शहरी क्षेत्र हेतु)	
मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	विहित प्रपत्र में	दिव्यांगजन विवाह के लिए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अन्तर्जातीय विवाह के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का कार्यालय	जिला पदाधिकारी

7.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया

- बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में राशि एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी को दी जायेगी।
- इस छत्र योजना अंतर्गत अन्य सभी योजनाओं के लिए अलग-अलग बैंक खाता सक्षम में संधारित होगी जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में State Level DBTके द्वारा एवं अवशेष अन्य सभी योजनाओं में parent-child account की पद्धति से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा ।
- अवशेष अन्य सभी योजनाओं में से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में पंचायत सचिव/टैक्स दरोगा या अन्य सक्षम कर्मों के द्वारा एवं शेष योजनाओं में जिलों के द्वारा लाभुकों को भुगतान किया जायेगा।

7.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

(i) सभी पेंशन योजनाओं, मृत्योंपरांत देय अनुदान योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, अन्तरजातीय विवाह योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42 A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायगा।

(ii) बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी से उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायगा।

8. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र-योजनाके अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जाँच दल का भी गठन किया जाता है।

9. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत एवं निवारण हेतु हेल्प डेस्क तथा एम0आई0एस0 की व्यवस्था की गयी है। शिकायत का निपटारा प्रखण्ड कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र-योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

जापांक:- 3/यो0-26/2017 -- 2437 पटना, दिनांक :- 25.4.18

प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी एवं सी0डी0 सहित सूचना एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर उसकी 1000 (एक हजार) प्रति भेजने की कृपा करें।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

जापांक:- 3/यो0-26/2017 --

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सरकार पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

जापांक:- 3/यो0-26/2017 -- 2437

पटना, दिनांक :- 25.4.18

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव